FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का टटेरा

किस्म मुकदमा:- विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता मुकदमा नम्बर - 430/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
30-12-25	राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में दिनांक 17 सितम्बर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक "ग्रामीण सेवा शिविर" का आयोजन किया गया था। जिसके अन्तर्गत राजस्व विभाग से संबधित संपादित किये जाने वाले कार्यो में "रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण" का कार्य श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र पत्रांक प0 19(7) राज–5/सम/2025 जयपुर दिनांक 03.09.2025 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में विभिन्न ग्राम पंचायतों में खातेदारी कृषि भूमियों में कदीमी रूप से चले आ रहे प्रचलित रास्ते (जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रहे है) को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता के रूप में दर्ज कराने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा सम्बन्धित ग्राम पचांयतों से प्रस्ताव लिये जाकर शिविर के दौरान मौके पर प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव तैयार करवाये गये थे। जिनको तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र कमांक 2353 /भू.अ./2025 दिनांक 01/08/2025 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम टटेरा पटवार हल्का टटेरा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 996 रकबा 0.40 हे0 में से 0.015 हे0 मे से जा रहे प्रचलित चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान [illegible] अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 [illegible] नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल [illegible] गुगल मैप, फर्द मौका रिपोर्ट जिस पर कुछ खातेदारान् के सहमति बतौर हस्ताक्षरित संबंधित खातेदारान में से, फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का टटेरा को तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। विविध प्रार्थना पत्र	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:35:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व ता. अहकाम जो हुक्म की ता. में जारी हुये
30-12-25	प्रचलित रास्ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से प्रकरण को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन एंव मनन किया गया। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एंव 86 के प्रावधानों के तहत भिजवाये गये प्रस्ताव को "ग्रामीण सेवा शिविर" –2025 के तहत ग्राम पंचायत ...टटेरा............ में प्राप्त प्रकरण को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। निर्णय आदेश मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एंव संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि उक्त खसरा नम्बरान् की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जावें एंव नक्शें में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्तें की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खातें ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस इस आदेश के भाग रहेगें। उक्त प्रचलित रास्ता में अंकित खसरा नम्बरान् पर यदि किसी अपीलीय/अपर/सिविल/राजस्व भण्डल इत्यादि किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो राजस्व रिकार्ड में पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Anil Kumar Date: 2026.01.16 13:35:39 IST Reason: SelfAttested (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) यह निर्णय आज दिनांक 30/12/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)
पीठासीन अधिकारीः– अनिल कुमार (आर.ए.एस.)
''ग्रामीण सेवा शिविर –2025''

विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता , मुकदमा संख्याः–430 / 2025

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम– 1956

निर्णय दिनांकः 30-12-25

आदेश

तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2353/भू.अ. / 2025 दिनांक 01/08/25 के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, सहमति पत्र जिसमें खातेदारान में से कुछ खातेदारान के हस्ताक्षर अंकित करवाये गए हैं एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया हैं। श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र पत्रांक प0 19(7) राज–5 / सम / 2025 जयपुर दिनांक 03.09.2025 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव व संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जिसके अनुसार तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम हटेरा पटवार हल्का हटेरा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 996 — रकबा 0.40 हे० में से 0.015 हे० में से जा रहे ढाणी खिजुरावाली की तरफ तक जाने वाले प्रचलित रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एंव राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी हल्का हटेरा ने अपनी रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता कई वर्षो से ~~कच्चा / पक्का~~ / ग्रेवल सड़क / ~~डामरीकरण~~ चालू होकर सार्वजनिक हित में आना बताया गया है। साथ ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा रिपोर्ट भी पेश की है।

इस प्रकार यह विविध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 57 के तहत स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम हटेरा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 996 — रकबा 0.40 हे० में से 0.015 हे० — की भूमि मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एंव राजस्व नक्शे में वर्णितानुसार करावें एंव संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित / दर्ज खातेदारी भूमियों में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एंव गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैर मुमकिन [illegible] खातेदारान के खाते में ही दर्ज राजस्व रिकार्ड रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त [illegible] नक्शा ट्रेस उक्त आदेश का भाग रहेंगे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर एक [illegible] न्यायालय में पेश करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:35:39 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह आदेश आज दिनांक 30-12-25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)